

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - दो

सोमवार, दिनांक 14 जुलाई, 2025 (आषाढ़ 23, 1947)

सभा के गर्भगृह में आने पर स्वयमेव निलंबन

आज सोमवार, दिनांक 14 जुलाई, 2025 को अपरान्ह 12:38 बजे सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करते हुए निम्नलिखित माननीय सदस्य सभा गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 250 के उपनियम (1) के तहत स्वयमेव निलंबित हो गये :-

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. डॉ. चरण दास महंत | 13. श्री अटल श्रीवास्तव |
| 2. श्री भूपेश बघेल | 14. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह |
| 3. श्री उमेश पटेल | 15. श्री ब्यास कश्यप |
| 4. श्री दलेश्वर साहू | 16. श्री बालेश्वर साहू |
| 5. श्री भोलाराम साहू | 17. श्रीमती शेषराज हरवंश |
| 6. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े | 18. श्रीमती चातुरी नंद |
| 7. श्री दिलीप लहरिया | 19. श्रीमती कविता प्राण लहरे |
| 8. श्री रामकुमार यादव | 20. श्री संदीप साहू |
| 9. श्री द्वारिकाधीश यादव | 21. श्री इन्द्र साव |
| 10. श्रीमती संगीता सिन्हा | 22. श्री ओंकार साहू |
| 11. श्री देवेन्द्र यादव | 23. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल |
| 12. श्रीमती यशोदा निलांबर वर्मा | |

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्त माननीय सदस्यों का निलंबन 12:40 बजे समाप्त किया गया।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा